राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत कोलसिया
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 03/2018
1. राधेश्याम पुत्र नन्दाराम
2. लक्ष्मणराम पुत्रान नन्दाराम जाति स्वामी निवासीगण ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ
—प्रार्थीगण

बनाम

1. विद्याधर
2. रामलाल पुत्र भोलाराम उर्फ भोपालराम
3. रामकुवार
4. श्योचन्द पुत्रान लिखमाराम
5. भानाराम उर्फ मानाराम पुत्र लिखमाराम
6. झिमकोरी पत्नी सुलतान
7. विनोद कुमार
8. सत्यवीर पुत्रान सुलतान
9. मंजू
10. सुशीला पुत्रियां सुलतान जाति जाट निवासीगण दूतों की ढाणी (मंसाका की ढाणी) कोलसिया तहसील नवलगढ
11. प्रबंधक कैनरा बैंक शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ
12. प्रबंधक राज0 ग्रा0 बैक शाखा बडवासी तहसील नवलगढ
13. प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा कोलसिया तहसील नवलगढ
14. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ
—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं.धारा 111 व 128 रा0 भू0 राज0 अधि0
निर्णय

निर्णय तिथि 22.06.2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कोलसिया में भूमि ख.न. 461 रकबा 1.27 है0 स्थित है। उपरोक्त भूमि में 2/3 हिस्सा प्रार्थीगण का है तथा 1/3 हिस्सा बरजी पत्नी स्व0 नन्दाराम का था बरजी पत्नी नन्दाराम ने अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष मे हक त्याग कर दिया। इस प्रकार उक्त ख.न. में 1/2 हिस्सा प्रार्थी नं. 1 का व 1/2 हिस्सा प्रार्थी नं. 2 का है। प्रार्थीगण ने उक्त खसरा नंबर का विधि अनुसार विभाजन कर लिया विभाजन का नामा0 संख्या 1948 दिनांक 17.05.16 के द्वारा ख.न. 1766/461 रकबा 0.6350 है0 प्रार्थी नं. 1 की तथा ख.न. 461 रकबा 0.6350 है0 प्रार्थी नं. 2 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ख.न. 1796/461/0.6350 है0 ख.न. 461/0.6350 है0 के संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडी करवाने हेतु पेश है। प्रार्थीगण के खेत के पडौसी अप्रार्थी नं. 1 लगायत 10 है राजस्व ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित ख.न. 459/0.59, 460/1.26, 521/0.15, 942/0.83, 946/1.49 किता 5 कुल रकबा 4.34 है0 स्थित है। उपरोक्त ख.न. की भूमि अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 10 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत के पडौसी हैं इसलिये बतौर पक्षकार संयोजित किये गये हैं ताकि कानूनी रूप से कोई खामी नही रहे। उपरोक्त ख.न. 461, 1796/461 का विधि अनुसार सीमा ज्ञान रकवाने के लिये अप्रार्थी नं. 14 के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया तथा अप्रार्थी नं. 14 के आदेशानुसार आदेश कमांक 76 दिनकि 17.06.16 व 74 दिनांक 17.06.16 की पालना में दिनांक 21.06.16 को पटवार हल्का कोलसिया द्वारा फीता चलाकर चर्तुर्थ सीमा का सीमाकंन किया गया सीमा चिन्ह बताये गये अर्थात प्रार्थीगण ने ख.न. 461, 1796/461 का विधि अनुसार सीमाज्ञान करवा लिया है तथा सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर पत्थर गड्डी करवाना चाहते हैं जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि ख.न. 461 रकबा 0.6350 ख.न. 1796/461/0.6350 है0 की सीमाओं पर सीमा ज्ञान दिनांक 21.06.2016 के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

...पर पत्थर गड्डी करवाये जाने का आदेश प्रदान करे जिसके लिये तहरीर अप्रार्थी नं. 14 को जारी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अप्रार्थीगण की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प ग्राम पंचायत कोलसिया में पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित होकर एक आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण विद्याधर पुत्र भोलाराम रमाकुवार श्योचन्द पुत्र लिखमाराम भानाराम पुत्र लिखमाराम आज दिनांक को उपस्थित होकर ख.न. 1796/461 व ख.न. 460 के मध्य जो सीमा कायम कर पत्थर गडी की जाती है तो हमे कोई आपति नही है हम पत्थर गडी की जाती है तो सहमत हैं। व झिमकोरी पत्नी सुलतान विनोद सत्यवीर पुत्र सुलतान मंजू सुशीला पुत्री सुलतान इस पत्थर गडी से प्रभावित नही हो रहे है। इसप्रकार दोनो तरफ से रिकार्ड के अनुसार नाप कर पत्थरगड्डी करवोन हम सभी सहमत हैं। सहमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबंदी ग्राम कोलसिया की भूमि ख.न. 459/0.59, 460/1.28, 521/0.15, 942/0.83, 946/1.49 किता 5 कुल रकबा 4.34 है0 की खातेदारी विद्याधर रामलाल पि0 भोलाराम हि0 1/5 सुल्तान रामकुवार श्योचन्द भानाराम पि0 लिखमाराम ह0 4/5 जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नाम0सं0 1563 नि.दि. 21.08.12 विरासत सुलतान फोत के स्थान पर झीमकोरी पत्नी स्व0 सुलतान विनोदकुमार सत्यवीर पि0 सुलतान मंजू सुशीला पुत्रियां सुलतान हि.ब. 1/5 स्वीकार अंकित किया गया है। तथा जमाबंदी 1796/461/0.6350 है0 की खातेदारी राधेश्याम पि0 नन्दाराम जाति स्वामी सा.देह खातेदार तथा लक्ष्मणराम पि0 नन्दाराम जाति स्वामी सा.दे. खातेदार ख.न. 461/0.6350 है0 दर्ज रिकार्ड है।

इसी संबंध में प्रस्तुत नकल सीमाज्ञान का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार दिनांक 21.06.2016 को ग्राम कोलसिया के ख.न. 1796/461 रकबा 0.6350है0 तथा ख.न. 461 रकबा 0.6350 है0 का सीमाज्ञान करवाया तथा फीता चलाकर चतुर्थ सीमा का सीमाज्ञान करवाया गया व सीमाचिन्ह बताये गये। ख.न. 1796/461, 461 की उतरी सीमा 85 मी0 व दक्षिणी सीमा पर 92 मीटर का अंकन किया गया है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण मुताबिक रिकार्ड वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने में सहमत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण का पत्थर गड्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोलसिया की भूमि ख.न. 1796/461 व 461 के रिकार्ड के अनुसार पत्थर गड्डी कराई जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगडी शुल्क जमा राज लिया जाकर उपरोक्त खसरा नम्बरान की पत्थर गड्डी की जावे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को मजमे शिविर सुनाया गया।

22/6/18

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट - नवलगढ -